

राजस्थान सरकार  
स्कूल शिक्षा (ग्रुप-5) विभाग

क्रमांक: 12(6) शिक्षा-5/2014

जयपुर, दिनांक: 18-6-14

निदेशक,  
प्रारम्भिक शिक्षा,  
बीकानेर, राजस्थान।

**विषय - शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 के प्रावधानों के अनुसार गैर सरकारी शिक्षण संस्थाओं में सत्र 2014-15 में निःशुल्क सीटों पर प्रवेश हेतु निकाली गई लॉटरी के बाध रिक्त रही सीटों को पुनः भरने के संबंध में।**

संदर्भ:

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि राज्य सरकार के पत्र क्रमांक: 4.12 (6) शिक्षा-5/2014 जयपुर, दिनांक: 3.2.2014 के द्वारा सत्र 2014-15 के लिए गैर सरकारी विद्यालयों में आरटीई के अन्तर्गत निःशुल्क सीटों पर प्रवेश हेतु दिशा निर्देश जारी किये गये थे। अप्रैल से सत्र प्रारम्भ करने वाले गैर सरकारी विद्यालयों में निःशुल्क सीटों पर प्रवेश हेतु दिनांक 10.04.2014 व 30.04.2014 को लॉटरी निकाल कर बालकों का प्राथमिकता क्रम निर्धारित किया गया था। इन विद्यालयों में अभी सीटें रिक्त हैं, इन रिक्त सीटों को पुनः भरने हेतु निम्नानुसार टाईम फ्रेम जारी किया जाता है :-

क्र. सं.	विवरण/प्रतिबन्धि	अपने से सत्र प्रारंभ करने वाले ऐसे विद्यालयों की रिक्त सीटों को भरने के लिए तिथियाँ (मिनकी लॉटरी निकल चुकी है।)	संबंधित निर्धारण
1	रिक्त सीटों का विज्ञापन जारी करना	25 जून तक	संबंधित निजी विद्यालय
2	आवेदन पत्रों का वितरण	9 जुलाई तक	संबंधित निजी विद्यालय
3	आवेदन पत्र प्राप्ति	10 जुलाई तक	संबंधित निजी विद्यालय
4	आवेदन पत्रों की जांच एवं सही आवेदन पत्रों की वेब पोर्टल पर प्रविष्टि	15 जुलाई तक	संबंधित निजी विद्यालय
5	ऑन लाईन लॉटरी द्वारा प्रवेश हेतु बालकों का प्राथमिकता क्रम निर्धारण	17 जुलाई	साथ ही वर एन.आई.सी द्वारा
6	बालकों का विचारपूर्वक में प्रवेश	28 जुलाई से	संबंधित निजी विद्यालय
7	निःशुल्क प्रवेशित बालकों एवं संघ 75 प्रतिशत सीटों पर प्रवेशित बालकों की वेब पोर्टल पर एन्ट्री	31 जुलाई	संबंधित निजी विद्यालय

यह संशोधन तत्काल प्रभाव से प्रभावी होगा। अतः इस संबंध में सभी संबंधित पक्षों को तत्काल सूचित करावे तथा NIC के माध्यम से वेब पोर्टल पर आवश्यक संशोधन को अपलोड करावे।

भवदीय,

Dr. [Signature]  
वरिष्ठ शासन उप सचिव

## कार्यालय निदेशक प्रारम्भिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर

क्रमांक:-शिविरा/प्रार/आर.टी.ई/बी/सॉफ्टवेयर निर्माण/18894/13-14/246

दिनांक:-18.6.14

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. निजी सचिव, शासन सचिव, स्कूल शिक्षा, शासन सचिवालय, जयपुर।
2. वरिष्ठ शासन उप सचिव, स्कूल शिक्षा(ग्रुप-5) विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर को उनके पत्रांक प. 12(6) शिक्षा-5/2014 जयपुर दिनांक 18.6.14 के क्रम में।
3. निजी सचिव आयुक्त, राजस्थान प्रारम्भिक शिक्षा परिषद्, शिक्षा संकुल जयपुर।
4. निजी सचिव, निदेशक प्रारम्भिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर।
5. निदेशक माध्यमिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर को प्रेषित कर निवेदन है कि माध्यमिक शिक्षा के समस्त उप निदेशक एवं जिला शिक्षा अधिकारी को सूचित कर अनुपालना करवावे।
6. श्री विनोद जैन, प्रमुख प्रणाली विश्लेषक एवं प्रोजेक्ट समन्वयक एन.आई.सी, केन्द्र जयपुर।
7. उप निदेशक प्रारम्भिक शिक्षा.....।
8. जिला शिक्षा अधिकारी(प्रा.शि.).....को प्रेषित कर लेख है कि जिले के सभी अधीनस्थ कार्यालयों को सूचित कर आदेशों की पालना सुनिश्चित करावे।
9. रक्षित पत्रावली।

[Signature]  
अतिरिक्त निदेशक(प्रशासन)  
प्रारम्भिक शिक्षा राजस्थान  
बीकानेर